संख्या-1/2016/जी-2-89/दस-2016-1/2016

प्रेषक,

राहुल भटनागर,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2016

विषयः एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों का वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

सरकारी सेवा में परिवीक्षाधीन नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक को परिवीक्षा अवधि में अनुमन्य होने वाले वेतन एवं वेतन वृद्धियॉ विनियमित करने के प्राविधान सुसंगत सेवा नियमावलियों में उल्लिखित रहते हैं जो सामान्य रूप से अनेक सेवा नियमावलियों में इस प्रकार हैं :-

परिवीक्षा अवधि में वेतन-

(1). फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहॉ विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

विनियमित होगा।

प्रायः अनेक सेवा नियमावलियों में परिवीक्षा अवधि में अनुमन्य वेतन की व्यवस्था उक्तवत विद्यमान है साथ ही आगामी वेतन-वृद्धि/वेतन-वृद्धियों की देयता के प्राविधान कुछ अन्तर के साथ विद्यमान हैं। सेवा नियमावली के उपर्युक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि यदि उनके अंतर्गत नियुक्त परिवीक्षाधीन सरकारी सेवक पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों या किसी पद को धारण कर रहा हो अर्थात उसका किसी पद पर लियन हो तो उसका वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। उक्त प्राविधान से यह भी स्पष्ट है कि सरकारी सेवक को उस दशा में वेतन संरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं है जब वह पूर्व की सेवा में स्थायी न रहा हो अथवा उसका किसी पद पर लियन न हो, अतएव ऐसी स्थिति में उसे नियुक्ति के पद के वेतनमान का न्यूनतम सोपान का वेतन अनुमन्य होगा। जहॉ परिवीक्षाधीन सरकारी सेवक पूर्व के किसी पद को धारण कर रहा हो अर्थात उसका किसी पद पर धारणाधिकार हो अथवा वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो उस स्थिति में उसके वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 में पूर्व से विद्यमान है किन्तु यह प्रक्रिया दिनांक 01-01-2006 के पूर्व विद्यमान वेतनवृद्धि सहित वेतनमानों की संरचना के लिए है। दिनांक 01-01-2006 से जो वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी हुयी है उसके लिए विभिन्न नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण की प्रक्रिया समय-समय पर शासनादेशों के अंतर्गत निर्धारित हो चुकी है किन्तु उक्त मूल नियम-22 के संदर्भ में प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में वेतन निर्धारण हेतु चूंकि वित्त विभाग के स्तर से कोई स्पष्टीकरण/मार्ग-निर्देश निर्गत नहीं किया गया है अतएव इस प्रकार के प्रकरणों में वेतन निर्धारण के संबंध में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित समस्या के निराकरण हेतु मूल नियम-22 की विभिन्न परिस्थितियों में वेतन निर्धारण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है:-

(क). यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे नये पद पर होती है जो उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन वाला है तो संबंधित सरकारी सेवक का नये पद पर वेतन निर्धारण किए जाने हेतु उसके पूर्व पद पर वेतन बैण्ड में प्राप्त बैण्ड वेतन को अपरिवर्तित रखते हुए उसे नये पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया जायेगा। परन्तु जहॉ उसके पूर्व पद के वेतन बैण्ड का बैण्ड वेतन, नये पद के वेतन बैण्ड के वेतन के न्यूनतम से कम होगा वहॉ नये पद के वेतन बैण्ड का न्यूनतम बैण्ड वेतन एवं नये पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया जायेगा।

<u>उदाहरण के लिए-</u>

(1). यदि किसी कर्मचारी का वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में ग्रेड वेतन रू0 4800/- है औरइस कर्मचारी का वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में बैण्ड वेतन रू0 16600/- है, उसकी नियुक्ति वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 में ग्रेड वेतन रू0 5400/- में होती है तो वेतन

http://shasanadesh.up.nic.in

बैण्ड रू0 15600-39100 में उसका बैण्ड वेतन रू0 16600/- यथावत रखते हुए उसमें ग्रेड वेतन रू0 5400/- जोड़कर वेतन निर्धारित होगा।

(2). इसी प्रकार यदि कर्मचारी का वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में ग्रेड वेतन रू0 4800/- है परन्तु उसका वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में बैण्ड वेतन रू0 14600/- है और उसकी नियुक्ति वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 में ग्रेड वेतन रू0 5400/- में होती है तो उसके वेतन का निर्धारण नियुक्ति के वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 में न्यूनतम बैण्ड वेतन रू0 15600/- एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- को जोड़कर किया जायेगा।

(ख) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति समान वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में होती है तो नये पद पर वेतन बैण्ड में वेतन वही रहेगा जो उसे अपने पूर्व पद पर मौलिक वेतन के रूप में प्राप्त हो रहा था।

(ग) यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति निम्न ग्रेड वेतन में होती है तो उसका वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन वही रहेगा जो उसे अपने पूर्व पद पर बैण्ड वेतन के रूप में प्राप्त हो रहा था किन्तु उसे ग्रेड वेतन निम्न पद के संदर्भ में प्राप्त होगा।

उदाहरण के लिए-

यदि किसी कर्मचारी का वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में ग्रेड वेतन रू0 4800/- है और इस वेतन बैण्ड में उसका बैण्ड वेतन रू0 14600/- है एवं उसकी नियुक्ति वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में ग्रेड वेतन रू0 4600/- में होती है तो उस कर्मचारी का वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 में बैण्ड वेतन रू0 14600/- यथावत् रखते हुए ग्रेड वेतन रू0 4600/- जोड़कर वेतन निर्धारित होगा।

(घ) उपरोक्त तीनों ही स्थितियों में वार्षिक वेतनवृद्धि की व्यवस्था निम्नवत् होगी:-

उक्तवत् वेतन निर्धारण की प्रक्रिया से यदि वेतन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से लेकर अगले वर्ष की दिनांक 01 जनवरी तक निर्धारित किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवक को अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। इसी प्रकार यदि किसी सरकारी सेवक का वेतन किसी वर्ष में दिनांक 02 जनवरी से दिनांक 30 जून तक अनुमन्य किया जाता है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की 01 जुलाई को देय होगी।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार वेतन निर्धारण की निम्नलिखित शर्ते होंगी:-

(क). संबंधित सेवा नियमावली में पहले से स्थायी सरकारी सेवा में होने की दशा में वर्तमान पद पर उसके संदर्भ में वेतन विनियमित किए जाने की व्यवस्था हो। पूर्व पद पर स्थायी न होने की स्थिति में वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं नये पद पर न्यूनतम वेतन ही प्राप्त होगा।

(ख). इस प्रकार वेतन निर्धारण का लाभ तभी देय है जब संबंधित सरकारी सेवक जिस पूर्व सेवा के पद पर स्थायी हो वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सेवा हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग). पूर्व पद के जिस मौलिक वेतन के संदर्भ में वेतन निर्धारण किया जाना है, उसमें पूर्व पद के साथ किसी अतिरिक्त वेतनवृद्धि/वैयक्तिक वेतन को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(घ). संबंधित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व सेवा से अनापत्ति प्राप्त कर/विधिवत् अवमुक्त होकर ही नयी सेवा के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया हो।

(ड.). पूर्व सेवा से त्याग पत्र न दिया गया हो अथवा सेवामुक्त/पदच्युत न किया गया हो।

(च). इस प्रकार के वेतन निर्धारण का लाभ शासन के प्रशासनिक विभाग के स्तर से अनुमन्य कराया जायेगा।

(छ). परिवीक्षावधि में वेतनवृद्धि देने अथवा न देने/रोकने के संबंध में सेवा नियमावली में परिवीक्षा अवधि के संबंध में विहित प्रतिबन्धों को संज्ञान में लिया जायेगा, किन्तु जहॉ तक वेतनवृद्धि के लिये अर्हकारी सेवावधि का प्रश्न है, इस संबंध में उपरोक्त प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(घ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ज) सम्बन्धित सरकारी सेवक यदि पूर्व पद के सन्दर्भ में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान अथवा सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) के लाभ के फलस्वरूप वेतन प्राप्त कर रहा था तो उक्त के सन्दर्भ में उसका वेतन निर्धारित नहीं किया जायेगा और इसके लिये पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

4- केन्द्र सरकार से उ0प्र0राज्य सरकार की सेवा में आये कर्मियों के वेतन संरक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या जी-2-673/दस-81/234-71, दिनांक 02 जुलाई, 1981 की व्यवस्था लागू होगी, जिसकी प्रक्रिया भी उपरोक्त प्रस्तर-2 एवं 3 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

भवदीय,

राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव

संख्या-1/2016/जी-2-89(1)/दस-2016-1/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

5 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in